



2026:AHC:58187

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रकरण संख्या - 3142 वर्ष 2026

श्रीमती सरोज चोपड़ा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

:

पद्माकर पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. वाद सूची को द्वितीय बार पुकारा गया।

2. श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता, जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पद्माकर पांडे, के स्थान पर उपस्थित हुए, तथा राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-। श्री अजय सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"अतः सादर प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया:

i. दिनांक 28.04.2025 को विद्वान अपर सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या 3573 वर्ष 2024, धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सरोज चोपड़ा बनाम समता सुनेजा

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं अन्य) में पारित आदेश तथा दिनांक 17.11.2025 को सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 290 वर्ष 2025 (सरोज चोपड़ा बनाम समता सुनेजा एवं अन्य) जिला कानपुर नगर में पारित आदेश को अपास्त करें।

ii. अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दें कि वे परिवाद संख्या 3573 वर्ष 2024, धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सरोज चोपड़ा बनाम समता सुनेजा एवं अन्य) जिला कानपुर नगर को नये सिरे से विचारित करें।

iii. कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय वर्तमान परिस्थितियों में उचित समझे।

iv. याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत प्रदान करें।"

4. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 2.09.2024 को धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन को, दिनांक 28.4.2025 को अपर सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/न्यायालय क्रमांक 3, कानपुर नगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 3573 वर्ष 2024, सरोज चोपड़ा बनाम समता सुनेजा एवं अन्य में पारित आदेश से परिवाद के रूप में मान्यता दी गई तथा परिवादिनी को धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपना बयान देने हेतु बुलाया गया। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने संबंधित सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया जो दिनांक 17.11.2025 को सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से खारिज हो गया। इन दोनों से असंतुष्ट होकर वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है।

5. याचिकाकर्ता द्वारा धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन में यह आरोप है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक एवं विधवा हैं। वर्ष 2014 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्हें कुछ धनराशि एवं संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हुआ था। उनकी पुत्री श्रीमती समता सुनेजा एवं उनके पति राजेश कुमार सुनेजा ने उनका बैंक खाता खुलवाया, जिसमें उनकी पुत्री ने छल करके स्वयं को संयुक्त खाताधारक बनवाया तथा दिनांक 06.07.2017 को रुपये 5 लाख अंतरित कर लिए। उन्होंने रोकने का प्रयास किया परंतु वे नहीं माने और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ठगी के उद्देश्य से संयुक्त खाताधारक बन गए। उन्होंने उन्हें बिना बताए मकान का एक हिस्सा मात्र रुपये 20 लाख में बेच दिया

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जबकि संपत्ति की वास्तविक कीमत लगभग एक करोड़ रुपये थी। बैंक में सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) भी बिना बताए उनके साथ संयुक्त रूप से कराई गई। उन्हें बताया गया था कि वह केवल नामिती हैं, परंतु उन्होंने धन के साथ अवैध रूप से छल किया। उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय ने परिवाद के रूप में मान्यता दी। परिवादिनी ने असंतुष्ट होकर संबंधित सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया जो खारिज कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले की प्रकृति ऐसी है जिसमें जांच आवश्यक थी क्योंकि जांच अधिकारी बैंक जाकर आरोपी के विरुद्ध अभिलेखीय साक्ष्य एकत्र कर सकता था जो उनके आशय, ठगी एवं जालसाजी को प्रमाणित करता। यह प्रस्तुत किया गया है कि बैंक खाते से छल करके धनराशि अंतरित की गई है, अतः विचारण न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अपास्त किए जाने योग्य है तथा मामले को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में पंजीकृत कराने का निर्देश दिया जाए जिसकी जांच आवश्यक है।

7. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिका एवं प्रार्थनाओं का विरोध किया।

8. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद उनकी पुत्री एवं दामाद के विरुद्ध है। आरोप बैंक खाते में लेन-देन से संबंधित हैं। यह सुलेखित एवं प्रलेखित कार्य हैं। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी अनियमितता या अवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है। यहाँ तक कि पुनरीक्षण न्यायालय ने भी मामले पर विस्तार से विचार किया और पुनरीक्षण खारिज कर दिया। इस मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

9. तदनुसार, प्रस्तुत रिट याचिका खारिज की जाती है।

10. यदि कोई लंबित आवेदन है तो वह भी निस्तारित समझा जाए।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20 मार्च, 2026

नरेश

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।